

समाचार

सड़कों से आवारा मवेशी हटाने का अभियान जारी (पुनः 22 मवेशियों को सड़कों से उठाकर पहुंचाया गया गोठान एवं कांजीघर)



कोरबा 05 अक्टूबर 2019 —आयुक्त श्री राहुल देव के निर्देश पर निगम द्वारा चलाए जा रहे सड़कों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों पर नियंत्रण का अभियान निरंतर जारी है तथा रात्रि को यह कार्यवाही निगम अमले द्वारा संचालित की जा रही है, अमले द्वारा पुनः 22 मवेशियों को सड़कों से उठाकर गोठान पहुंचाया गया है।

नगर के पशुपालको द्वारा अपने मवेशियों को सड़कों पर स्वच्छंद विचरण हेतु छोड़ दिया जा रहा है, ये मवेशी सड़कों पर स्वच्छंद रूप से घूमते हैं तथा सड़कों पर बैठ जाते हैं, इनके कारण यातायात बाधित होता है तथा आवागमन करने वाले नागरिकों, वाहन चालकों को काफी दिक्कतें होती हैं। इन मवेशियों के कारण सड़क दुर्घटनाएं घटित होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। सड़कों पर स्वच्छंद रूप से विचरण कर यातायात बाधित करने वाले इन मवेशियों से सड़कों को मुक्त कराने हेतु निगम द्वारा आयुक्त श्री राहुल देव के निर्देश पर निरंतर कार्यवाही की जा रही है। निगम के सम्पत्तिकर अधिकारी श्रीधर बनाफर ने बताया कि गत रात्रि सी.एस.ई.बी.चौक से सीतामणी तक आवारा पशु नियंत्रण का अभियान निगम अमले द्वारा चलाया गया तथा 22 मवेशियों को सड़कों से उठाकर काउंकेचर के माध्यम से गोठान एवं कांजीघर पहुंचाया गया।

मवेशी सड़कों पर न छोड़ें पशुपालक— आयुक्त श्री राहुल देव ने नगर के पशुपालकों, दूध डेयरी व्यवसायियों से कहा है कि वे अपने मवेशियों को सड़कों पर खुला न छोड़ें, बल्कि घर पर ही सुरक्षित रूप से रखें, उन्होंने कहा कि बार—बार अपील किए जाने के बाद भी यह देखने में आ रहा है कि प्रतिदिन सड़कों पर मवेशी छोड़ दिए जाते हैं, निश्चित रूप से यह अफसोसजनक है, सड़कों पर मवेशियों के विचरण करने एवं बैठने से आमनागरिकों, वाहन चालकों को काफी परेशानी होती है, आवागमन बाधित होता है तथा दुर्घटना घटित होने की संभावना बनी रहती है, अतः पशुपालक किसी भी हालत में मवेशियों को सड़कों पर न छोड़ें।

2000 रुपये अर्थदण्ड का है प्रावधान— पशुपालकों द्वारा सड़कों पर पशुओं को छोड़ने तथा नगर निगम द्वारा इन मवेशियों को उठाकर कांजीघर में निरुद्ध करने के पश्चात पशुओं के स्वामियों पर 2000 रुपये का अर्थदण्ड आरोपित करने का प्रावधान रखा गया है, साथ ही पशु स्वामियों को खुराक की राशि भी देनी होगी, अतः इस अर्थदण्ड से बचने के लिए उचित होगा कि पशुपालक अपने मवेशियों को सड़कों पर न छोड़े, अर्थदण्ड से बचे एवं नगर की आवागमन व्यवस्था में सहयोग दें।